

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-17/विविध-01-64/2023

पटना, दिनांक :- / / 2025

विभागीय आदेश संख्या-914(1) दिनांक-06 10 2020-सह-पठित-शुद्धि पत्र संख्या- 915(1) दिनांक-10 10 2020 में निहित शर्तों के आलोक में डॉ० रविशंकर कुमार, सीनियर रेजिडेंट (टेन्योर-BHS), निश्चेतना विभाग, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा को NEET-PG-2024/BIHAR PGMAC, 2024 के कॉउंसिलिंग/नामांकन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि नामांकन नहीं होने अथवा चयनोपरान्त अध्ययन अवकाश पूर्ण होने के तत्काल बाद तीन वर्षीय बॉण्ड आधारित सेवा पूर्ण करेंगे।

2. सबधित चिकित्सा संस्थान के प्राचार्य/अधीक्षक/सिविल सर्जन द्वारा उपर्युक्त आदेश में निहित शर्तों के आलोक में सबधित चिकित्सक से उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रम हेतु आवंटित संस्थान का साक्ष्य एवं शपथ-पत्र प्राप्त कर उच्चतर शिक्षा करने के लिए विरामित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही आश्वस्त हो लेंगे कि उपर्युक्त चिकित्सक को अनापत्ति प्रमाण पत्र सिर्फ उच्चतर शिक्षा (PG) करने के लिए ही दिया जा रहा है।

3. डॉ० कुमार को साक्षात्कार/काउंसिलिंग में भाग लेने हेतु अनापत्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि चयनोपरान्त पूर्व धारित पद (सीनियर रेजिडेंट) से त्याग-पत्र समर्पित करेंगे।

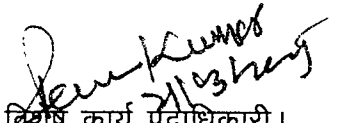
4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सं० सं०-17/विविध-01-64/2023 - 298/17)

पटना, दिनांक : 24/03 / 2025

- प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सबधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सबधित जिला पदाधिकारी/सबधित सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- डॉ० रविशंकर कुमार, सीनियर रेजिडेंट (टेन्योर-BHS), निश्चेतना विभाग, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 02, 03, 08, 09 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।
H